उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-5

संख्या-147/2022/2143जे0/22-5-2022-1200(27)/2017

लखनऊ : दिनांक 22 नवम्बर, 2022

वारण्ट

उप महानिरीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-35150/सामा-1(8)/150/खीरी, दिनांक 04-11-2022 द्वारा जिला कारागार, खीरी में निरूद्ध विचाराधीन बंदी सुमित मिश्रा पुत्र श्री घनश्याम मिश्रा को मुख्य चिकित्साधिकारी, खीरी द्वारा मानसिक रोग से ग्रस्त पाये जाने के कारण की गयी संस्तुति के क्रम में उक्त बंदी को उपचार हेतु मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी भेजे जाने हेतु कार्योत्तर अनुमति मांगी गयी है।

2- अतएव उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-510 एवं प्रिजनर्स एक्ट-1900 की धारा-30(1) के अन्तर्गत उक्त बंदी को मानसिक रोग के उपचारार्थ मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी स्थानान्तरित किये जाने की कार्योत्तर अनुमति प्रदान की जाती है तथा यह आदेशित किया जाता है कि स्वस्थ होने के उपरान्त दण्ड की शेष अवधि भोगने हेतु उसे जिला कारागार, खीरी वापस भेज दिया जाये।

सुरेश कुमार पाण्डेय

विशेष सचिव।

संख्या-147/2022/2143जे0(1)/22-5-2022-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाऐं, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र संख्या-35150/सामा-1(8)/150/खीरी, दिनांक 04-11-2022 के संदर्भ में मूल संलग्नकों सहित। **(संलग्नक यथोक्त)**

2. जिलाधिकारी, खीरी।

3. पुलिस अधीक्षक, खीरी।

4. अधीक्षक, जिला कारागार, खीरी।

5. प्रमुख अधीक्षक, मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी।

6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

रामध्यान रावत

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in